(163)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्ष : के.सी. जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक निगरानी 3022–दो/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 20–08–2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीहोर प्रकरण कमांक 07/अपील/13–14.

भारत सिंह आ. श्री चेन सिंह
निवासी ग्राम अमरोद, तहसील एवं
जिला सीहोर म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्व

1. चांद सिंह पुत्र राधेकिशन
   निवासी ग्राम अमरोद तहसील व एवं
   जिला सीहोर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन .....अनावेदकगण

श्री एन0एस0 ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27 सितम्बर 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू.राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–08–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के प्रकरण क्रमांक 159/अ–19/71–72 पारित द्वारा आदेश 13–04–1972 के विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की कि अनावेदक कं0 1 द्वारा ग्राम अमरोद में भूमि खसरा नंबर

329/291 रकबा 1.40 एकड़ को अपने खातों में मिलाये जाने का निवेदन किया एंव म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 237 तथा रेवेन्यू बुक सर्क्यूलर सेक्शन सिरियल नंबर–03 के नियम 0 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसमें सर्वे नंबर को अपने सर्वे नंबर में मिलाया जाकर पट्टा प्रदान किये जाने का निवेदन किया, जिस पर पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के नियम 30 (1) के विपरीत जाकर शासन द्वारा पट्टे के संबंध में नियमों के विपरीत जाकर रेस्पान्डेंट कमांक–1 को दिनांक 13.04.1972 को आलोच्य आदेश पारित करते हुये पट्टा प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 20.08.2014 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के मौखिक तर्क श्रवण किये गये। आवेदक अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये तथा अनावेदक अभिभाषक द्वारा 3 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। परन्तु 7 दिवस व्यवतीत हो जाने के पश्चात भी अनावेदक के लिखित तर्क प्राप्त न होने से उनकी ओर से प्रस्तुत मौखिक तर्क एवं उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में उपलब्ध नायब तहसीलदार सीहोर के प्रतिवेदन दिनांकित 27–09–1971 का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित ग्राम अमरोद की भूमि खसरा क्रमांक–329/291 क्षैत्रफल 1.40 एकड़ निस्तार की भूमि होकर गोहा राजस्व अभिलेखों में अंकित थी। तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.04.1972 के आदेश पत्रिका पर व्यवस्थापन की कार्यवाही की गई। प्रकरण कमांक 108/अ–3/69–70 में संलग्न प्रतिवेदन दिनांक 27–09–1971 का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 328/291/1 से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 328/291/1, 291/1/1, 291/1/2 एवं

292 आवेदक के पिता चैन सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, परंतु आवेदक को किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गई है जबकि वह मेडीया कृषक होने से हितबद्ध व्यक्ति था। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि अनावेदक कमांक–1 को पट्टा स्वीकृत करने की प्रथम बार जानकारी जब विवादित भूमि पर सीमांकन किये जाने पर हुई, तब 2013 में प्रथम बार आवेदक तत्मसय ही कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो अभी कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है। आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के जिस आदेश दिनांक 20–8–2014 को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है उसमें '' रिस्पोन्डेंट की ओर दस्तावेज पेश, अपीलार्थी को प्रति दी गई, प्रकरण आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया गया है।'' अपर कलेक्टर के उक्त अंतरिम आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नही हैं। जहां तक आवेदक द्वारा इस न्यायालय में उठाये गये तर्कों का प्रश्न है वह अंतिम निष्कर्षों के संबंध में जिन्हें वह कलेक्टर के समक्ष उठा सकता है। इसके लिए उसे पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। चूंकि कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण होना शेष है इसलिए इस प्रकरण में गुण–दोषों पर विचार नहीं किया जा रहा है। अतः प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दोनों पक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर देने, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन उपरांत विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करें। प्रकरण उपरोक्त निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(के.सी. जैन)
सदस्य
राजस्व मंडल, म0प्र0,
ग्वालियर